

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>11.02.2020</p>	<p>न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, धनबाद आर्बिट्रेटर केस नं०-71/2019</p> <p>गोविन्द प्रसाद वर्णवाल -बनाम- भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य</p> <p>दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अंतर्गत मौजा-रामकनाली, मौजा सं०-134, खाता नं०-34, प्लॉट सं०-2817 रकवा-0.0637 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक के आवेदन पत्र एवं स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि उक्त भूमि आवासीय भूमि है, जबकि कृषि भूमि के दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। उक्त भूमि का वर्ष 2012 में 46,153.85 रू० प्रति डी० के दर से कय की गई थी, परन्तु दो-तीन साल से अधिक समय अवधि बितने के बाद भी जमीन का मूल्य 7000.00 रू० प्रति डी० के दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही पक्का बाउण्ड्री का भी मूल्यांकन कम किया गया है। आवेदक द्वारा जमीन एवं बाउण्ड्री का वर्तमान बाजार दर से मुआवजा राशि का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>आवेदक द्वारा उक्त भूमि का आवासीय भूमि के दर पर पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHA के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन०एच०ए०आई० को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जाँच करते हुए भूमि एवं बाउण्ड्री का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p> <p>अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p>	